न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी मनोरा तहसील व जिला सिरोही		1 राजस्थार सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही 2 मनोहरसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी सतापुरा तहसील व जिला सिरोही 3 अजयपालसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी सतापुरा तहसील व जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री जितेन्द्रसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/8/18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 249 / 2016 मनोहरसिंह बनाम राज्य सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सतापुरा के खसरा नम्बर 257 की भूमि अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्तसुदा आराज़ी है, जिस पर अपीलाण्ट वक्त खरीद से काबिज काश्त है। अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन का मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि मौजा सतापुरा के खसरा नम्बर 284 / 257 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

बिना किसी साक्ष्य के केवल मात्र अप्रार्थीगण के अभिवचनों की ताईद करते हुए अपीलाण्ट को श्रीमति अन्तर कुंवर के साथ संयुक्त कृषि होना मानकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिवचनों की सही ढंग से पढे बगैर एवं न्यायिक व्याख्या किए बगैर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में प्रार्थी की खेती श्रीमति अन्तर कुंवर के साथ मौजा सतापुरा के सम्पूर्ण खसरा नम्बर 257 की भूमि पर बताकर जैर अपील आदेश पारित किया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 स्वयं के अभिवचनों से ही स्पष्ट है कि मौके की स्थिति भिन्न है एवं अपीलाण्ट का मौजा सतापुरा के खसरा नम्बर 257 के केवल मात्र आधे गैर तरमीमसुदा हिस्से, जो की रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के इसी खसरा में से तरमीमसुदा खसरा नम्बर 284/257 से लगती हुई है तथा उसी के रास्ते का प्रार्थी उपयोग कर सकता है एवं करता था, इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा क्रय की गई भूमि के विक्रय विलेख के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मौजा सतापुरा के खसरा नम्बर 257 के प्रत्येक हिस्से में आवागमन एवं कृषि हेतु उक्त खसरा के अन्तिम छोर पर मौजा सतापुरा एवं मनोरा की सरहदी रास्तो के रूप में गांव सतापुरा के खसरा नम्बर 257 के समानान्तर भाग रास्ते के रूप में उपयोग लिया जाता था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3, द्वारा खसरा नम्बर 257 में से 3 बीघा भूमि मय रास्ते के क्रय किया गया है। कानूनन रास्ते की भूमि की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है एवं यदि कोई पक्षकार रास्ते की भूमि के खरीद का दावा करता है, तो वह शून्य है तथा उसे रास्ता अवरूद्ध करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन को मार्ग की आत्यांतिक आवश्यकता थी तथा कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष प्रदान नहीं किया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए खसरा नम्बर 257 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 284/257 में से रास्ता प्रदान कराने का आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अपीलाण्ट ने मात्र रंजिशवश रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि में से रास्ते की मांग की है। धारा 251ए के तहत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने की दशा में रास्ते का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 252 में से आवागमन हो रहा है, इस प्रकार वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण रास्ता प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सिलसिलेवार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें समस्त प्रतिवेदनों में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना सिद्ध हुआ है। धारा 251ए सुविधाजनक मार्ग का प्रावधान नहीं करती है। अतः अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं रेकर्ड को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा सतापुरा के खसरा नम्बर 257 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 284/257 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 257 की भूमि मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत 1/2, अन्तरकुंवर पत्नी वरदीसिंह 1/2 कौम राव सा0 मनोरा खातेदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत खातेदारी भूमि में पहुँच हेतु रास्ता प्रदान करने के प्रावधान है, जिसके तहत मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं को विवेचित किया जाना आवश्यक होता है, जिस पर सम्पूर्ण प्रकरण आधारित होता है, वे बिन्दु इस प्रकार है – (1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, जो मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो, (2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव एवं (3) निकटतम एवं लघुतम मार्ग। हस्तगत प्रकरण का इन तीनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है –

(1) रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, जो मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो। इस बिन्दु के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/36 दिनांक 10.01.2017 एवं नायब तहसीलदार सिरोही द्वारा अपने पत्रांक/2313 दिनांक 31.03.2017 के द्वारा न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उन दोनों की प्रतिवेदनों में तथ्य समान रूप से अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 257 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 236 में से रास्ता उपलब्ध है, जो खसरा नम्बर 252 तक उपयोग में लिया जा रहा है तथा रास्ते के निशानात् मौके पर मौजूद है, जो खसरा नम्बर 257 तक रास्ता होना प्रमाणित करते है, हालांकि खसरा नम्बर 257 के खातेदार द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मौके पर रास्ता उपलब्ध होते हुए मात्र रास्ते का उपयोग नहीं किया जाकर अन्य खातेदार की जोत में से रास्ते की मांग करना आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में परिलक्षित नहीं होकर निर्विवादित रूप से सुविधाजनक उपयोग की श्रेणी में परिलक्षित होता है, जो विधि सम्मत नहीं है।

(2) वैकल्पिक मार्ग का अभाव – इस बिन्दु के संबंध में परीक्षण करने पर वही स्थिति प्रकट होती है, जिसका विवेचन बिन्दु संख्या 1 में किया गया है। चूंकि खसरा नम्बर 257 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 236 में से रास्ता उपलब्ध है, जो खसरा नम्बर 252 में होते हुए खसरा नम्बर 257 तक उपलब्ध है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलाण्ट की जोत में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

होता है, जिसके कारण प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत नये मार्ग की मांग किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(3) निकटतम एवं लघुतम मार्ग – चूंकि बिन्दु संख्या 1 व 2 दोनों की प्रार्थी/अपीलाण्ट के पक्ष में सिद्ध नहीं हुए है। वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होने के कारण निकटतम एवं लघुतम मार्ग का बिन्दु स्वयंमेव गौण हो जाता है। तद्नुसार यह बिन्दु भी प्रार्थी/अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं होता है।

इस प्रकार विशिष्ठ रूप से नया मार्ग कायम करने हेतु जो आज्ञापक प्रावधान विधि में प्रदत्त किए गए है, उन प्रावधानों को प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में अपने पक्ष में साबित नहीं किया गया है। डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि "राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "bsence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट इस कसौटी पर ख़रा उतरने में नाकामयाब हुए है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 249/2016 मनोहरसिंह बनाम राज्य सरकार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 21.04.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 6.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही